

बिहार विधान सभा के चालू सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

<p>श्रीमती गुलजार देवी, स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-पुन-22 के संबंध में</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में बाढ़ पूर्व वर्षों से क्षतिग्रस्त मकान वालों को मुख्यमंत्री आवास के नाम पर प्रति व्यक्ति 24000.00 (चौबीस हजार) रु0 दिया गया है ;</p>	<p>अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2007 की बाढ़ के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों तथा झोपड़ियों के स्थान पर पक्के मकानों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से एक योजना संचालित थी जिसके अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल देय 25000 रु0 में से प्रथम किस्त में 24000 रु0 प्रति व्यक्ति दिया गया था ।</p>
<p>(2) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत तीन प्रखंडों फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुर में उक्त योजनान्तर्गत हजारों परिवारों को लाभ दिया गया है ;</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फुलपरास अंचल में 3055, घोघरडीहा अंचल में 2159 एवं मधेपुर अंचल में 3469 व्यक्तियों को लाभ दिया गया है ।</p>
<p>(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड -2 में वर्णित प्रखंडों में मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत एक भी लाभार्थी ने आवास निर्माण नहीं कराया है;</p>	<p>अस्वीकारात्मक । लाभार्थियों के द्वारा विभिन्न स्तरों तक मकान निर्माण का कार्य किया गया है ।</p>
<p>(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई कब करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>सम्बन्धित लाभार्थियों को मकान निर्माण का कार्य पूर्ण कराने हेतु अंचल पदाधिकारी, फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुरा द्वारा मार्च 2012 के प्रथम पक्ष में क्रमशः 20, 92 एवं 22 लाभार्थियों को नोटिस निर्गत किया गया है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने पत्रांक-109 मु0/आ0प्र0, दिनांक-28.07.2012 द्वारा इसकी सूचना दी गई है।</p>

**बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग**

ज्ञापांक-04/वि0स0ता0प्र0-26/2012...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक-1847, दिनांक-03.03.12 के क्रम में 03 (तीन) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

अवर सचिव

ज्ञापांक-2802/आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28.8.12
प्रतिलिपि- सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को इस विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


अवर सचिव